FORM NO.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

2025/508

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्याः–216/2025

प्रार्थी
मनोहरसिंह सोलंकी

बनाम

अप्रार्थी
सरकार

किस्म मुकदमा– प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 136 भू राजस्व अधिनियम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनियाल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.10.25	प्रार्थी मनोहरसिंह पुत्र चिमनसिंह उर्फ चिमनाराम निवासी सालावास तहसील लूणी जिला जोधपुर द्वारा दिनांक 03.10.2025 कैम्प ग्राम पंचायत सालावास में अपना नाम मनोहरसिंह के स्थान पर मनोहरसिंह सोलंकी करने का आवेदन मय दस्तावेज पेश किया। जिसमें भू.अ. निरीक्षक कांकाणी एवं पटवारी सालावास की रिपोर्ट में बताया कि ग्राम सालावास के खाता संख्या 127, 712, 890 में मनोहरसिंह पुत्र चिमनसिंह उर्फ चिमनाराम नाम दर्ज है। प्रार्थी का नाम मनोहरसिंह पुत्र चिमनसिंह उर्फ चिमनाराम के स्थान पर मनोहरसिंह उर्फ मनोहरसिह सोलंकी पुत्र चिमनसिंह उर्फ चिमनाराम किये जाने की अनुशंषा की गई है। तथा नायब तहसीलदार लूणी ने भी पटवारी हल्का एवं निरीक्षक भू.अ. की रिपोर्ट के आधार पर शुद्दि किये जाने की अनुशंषा की गई है। **<u>आदेश</u>** प्रार्थी के प्रार्थन पत्र मय भू.अ. निरीक्षक कांकाणी एवं पटवारी सालावास एवं नायब तहसीलदार लूणी की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम सालावास के खाता संख्या 127, 712, 890 में प्रार्थी का नाम मनोहरसिंह पुत्र चिमनसिंह उर्फ चिमनाराम के स्थान पर मनोहरसिंह सोलंकी पुत्र चिमनसिंह उर्फ चिमनाराम वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को शुद्व किया जाकर राजस्व रेकर्ड में अमल दरादम के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हों। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी	